प्रतिभा किरण योजना

उदेश्य– गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली शहर की मेघावी छात्राओं को बालिकाओं की शिक्षा का स्तर बढ़ाने एवं उच्च शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना ।

पात्रता –

1. गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नगरीय क्षेत्र निवासी परिवार से आने वाली 12 वी परीक्षा में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण छात्रा जिन्होने 12 वी कक्षा शहर में रहकर उत्तीर्ण की हो ।
2. जिस सत्र में 12 वी कक्षा उत्तीर्ण की हो उसी सत्र में उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेना आवश्यक होगा ।
3. स्नातक स्तर पर छात्रा का नियमित अध्ययनरत होना तथा निरंतरता से अगली कक्षा में प्रवेश लिया जाना आवश्यक होगा ।
4. 12 वी कक्षा के पश्चात शासकीय शैक्षणिक संस्थायें,अनुदान प्राप्त अशासकीय शैक्षणिक संस्थायें जिनकी फीस शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं के अनुसार होना आवश्यक है ।
5. छात्रा को उच्च शिक्षा,तकनीकी शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित स्नातक पाठयक्रम में प्रवेश लेना आवश्यक होगा ।

प्रकिया –

1. संबंधित छात्रा द्वारा प्रतिभा किरण योजना के अंतर्गत प्रारूप में आवेदन, नगर निगम/नगरपालिका द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापान प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण छात्रा की अंकसूची को महाविद्यालय के छात्रवृत्ति प्रभारी को समयावधि में देना होगा ।

लाभ

1. शिक्षण शुल्क में छूट की पात्रता ।
2. छात्रावास में प्रवेश में प्राथमिकता
3. छात्रावास शुल्क में छूट
4. पाठ्यक्रम हेतु छात्रा को प्रतिमाह 500 ₹ (अधिकतम 10 माह) वार्षिक । तकनीकी तथा चिकित्सा शिक्षा पाठयक्रम हेतु 750/– ₹ प्रतिमाह (अधिकतम 10 माह) प्रति शैक्षणिक सत्र वार्षिक ।